

ई-मेल | अपलोड

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,
खाद्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर।

ई-मेल : acfood-rj@nic.in

दूरभाषनंबर:- 0141-2227117, 2227911

क्रमांकएफ 2(08)खा.वि./स्था.प्र/2001

जयपुर, दिनांक 03/09/2024

आदेश

राजस्थान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अधीनस्थ सेवा नियम, 1974 के तहत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 28.08.2024 में की गई अभिशंषा के आधार पर निम्नांकित प्रवर्तन निरीक्षकों को उनके नाम के सम्मुख वर्ष में वरिष्ठता एवं योग्यता से प्रवर्तन अधिकारी (पे-लेवल L- 11, ग्रेड-पे 4200) के पद पर उनके नाम के सम्मुख अंकित वर्ष में पदोन्नत किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम अधिकारी	रिक्ति /डी.पी.सी. वर्ष	पदोन्नति प्रभावी होने की तिथि
1	2	3	4
1	श्री दिनेश चौबे	2019-20	01.04.2019
2	श्री अंशु तिवारी	2019-20	01.04.2019
3	श्री भागचन्द गुर्जर	2019-20	01.04.2019
4	श्री अरविन्द आचार्य	2019-20	01.04.2019
5	श्री अंकुश अग्रवाल	2019-20	01.04.2019
6	श्री अमित कुमार	2019-20	01.04.2019
7	श्री चक्षु पाण्डेय	2019-20	01.04.2019
8	श्री योगेश कुमार मिश्रा	2019-20	01.04.2019
9	श्री सुबोध कुमार	2019-20	01.04.2019
10	श्री जगदीश प्रसाद शर्मा	2019-20	01.04.2019
11	श्री सवाई राम	2019-20	01.04.2019
12	श्री मानवेन्द्र	2019-20	01.04.2019
13	श्री महकरण सिंह	2019-20	01.04.2019
14	श्री खान मोहम्मद खान	2019-20	01.04.2019
15	श्री अरविन्द सिंह	2019-20	01.04.2019
16	श्री योगेश कुमार	2019-20	01.04.2019
17	श्री पवन सुथार	2019-20	01.04.2019
18	श्री संदीप झाँकल	2019-20	01.04.2019
19	श्री राधेश्याम दास	2019-20	01.06.2019
20	श्री जितेन्द्र सिंह आसिया	2019-20	03.07.2019

क्र.सं.	नाम अधिकारी	रिक्ति / डी.पी.सी. वर्ष	पदोन्नति प्रभावी होने की तिथि
1	2	3	4
21	श्री विरम दान	2020-21	01.05.2020
22	श्रीमती पूजा अग्रवाल	2020-21	01.08.2020
23	डॉ. निशा मुंदडा	2020-21	01.09.2020
24	श्री पारसमल मेघवाल	2020-21	01.10.2020
25	पूजा शर्मा	2021-22	10.05.2021
26	श्रीमती विजय लक्ष्मी शर्मा	2021-22	01.06.2021
27	श्रीमती कृष्णा कंवर भाटी	2021-22	01.11.2021

पदोन्नति पश्चात् उपरोक्त कार्मिक पूर्वानुसार पदस्थापन पद पर अग्रिम आदेशों तक कार्य करते रहेंगे। इनकी वरिष्ठता मूल वरिष्ठता अनुसार निर्धारित की जायेगी। पदोन्नत कार्मिकों के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(राजेन्द्र विजय)

अतिरिक्त खाद्य आयुक्त

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त (खाद्य) खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।
5. समस्त अधिकारीगण, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।
6. ए.सी.पी. मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड एवं सम्बंधित को ई-मेल करवाया जाना सुनिश्चित करें।
7. समस्त पदोन्नत प्रवर्तन अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि अपनी उपस्थिति वर्तमान पदस्थापन कार्यालय में दी जाकर, उपस्थिति रिपोर्ट विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
8. निजी पत्रावली सम्बंधित प्रवर्तन अधिकारीगण श्री
9. श्री सुबोध कुमार, (निलंबित) प्रवर्तन निरीक्षक, को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि वह पदोन्नति पद पर अपनी उपस्थिति खाद्य विभाग मुख्यालय में दिया जाना सुनिश्चित करें। आपकी यह उपस्थिति आपके विरुद्ध विचाराधीन प्रकरण के निर्णय के अध्यक्षीन रहेगी।
10. विभागीय गोपनीय प्रतिवेदन / जांच / भुगतान शाखा।
11. रक्षा पत्रिका।

अतिरिक्त खाद्य आयुक्त